निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल–462011
Email – sopanchayat.mpsec@mp.gov.in
Phone No. - 0755-2555527

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण
–0–

क्रमांक–एफ–35/PN–01/2023/तीन/19 भोपाल, दिनांक 24/01/2023

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.)
जिला–समस्त
मध्यप्रदेश।

विषय : पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2023 हेतु प्रक्रिया एवं मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम।

––00––

1. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा–5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए वार्डवार मतदाताओं की फोटोयुक्त सूची हिन्दी में देवनागरी लिपि में प्ररूप–1 में तैयार किये जाने के प्रावधान है। मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–14 में नवीन संशोधन पश्चात् अब ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों को प्रत्येक वर्ष के 01 जनवरी की स्थिति में पुनरीक्षण किया जाने का प्रावधान है।
2. आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया और ऑनलाईन एप्लिकेशन ERMS (Electoral Roll Management System) में किये गये महत्वपूर्ण संशोधनों का विशेष ध्यान रखा जाये :–
   - परिसीमन संबंधी त्रुटियों के निराकरण के लिए कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन अनिवार्य है। कंट्रोल टेबल में संशोधन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से मान्य किया जायेगा। संशोधित कंट्रोल टेबल के अनुसार आधार पत्रक तैयार कर, मार्किंग कर मतदाताओं की शिफ्टिंग करना भी अनिवार्य है।
   - विधानसभा की मतदाता सूची के नामों के छूटने की त्रुटि के निराकरण के लिए शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची, संशोधन वेरिफिकेशन सूची में शत् प्रतिशत मार्किंग की जाना आवश्यक है। शत् प्रतिशत मार्किंग नहीं होने पर प्रारूप मतदाता सूची जनरेट नहीं हो सकेगी।
   - प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन में हुई त्रुटियों के निराकरण के लिए फोटो रहित प्रारूप मतदाता सूची को वेबसाईट पर अपलोड किया जाये एवं प्रारूप मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन सम्बंधी प्रमाणपत्र को स्केन कर अपलोड करने सम्बंधी प्रावधान का पालन करें।
   - अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में हुई त्रुटियों के निराकरण के लिए फोटो रहित अंतिम मतदाता सूची को वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य है। अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन सम्बंधी प्रमाणपत्र को भी स्केन कर अपलोड किया जाये।
   - मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की ऑनलाईन मॉनिटरिंग करने के लिए तैयार किये गये डेशबोर्ड की सतत् मॉनिटरिंग की जाये। कलेक्टर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डेशबोर्ड से रियल टाईम पर पुनरीक्षण सम्बंधी की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा की जाये।
3. मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण 2023 का कार्यक्रम **(परिशिष्ट–एक)** संलग्न है। पुनरीक्षण सम्बंधी विस्तृत प्रक्रिया अधोलिखित कंडिकाओं में वर्णित है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारी और अन्य सभी सम्बंधितों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4. फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के लिए आयोग द्वारा पूर्व वर्षों की भांति मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल को राज्य स्तरीय एजेंसी (एस.एल.ए.) नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। SLA द्वारा आपके जिले के लिए वेण्डर का चयन किया जाकर आपको सूचित किया जा चुका है। वेण्डर द्वारा पूर्व में ही जिले में आवश्यक स्टाफ और कम्प्यूटर इत्यादि की व्यवस्था की जा चुकी है। कृपया वेण्डर द्वारा की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा कर लें और पर्याप्त समय पूर्व यथाआवश्यक सुधार भी कर लें।

5. दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में प्रत्येक ग्राम पंचायत की दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में तैयार फोटोयुक्त मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाना है।

6. समस्त ग्राम पंचायतों की दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार है। अब दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया 03 चरणों में सम्पन्न की जायेगी।

   - **प्रथम चरण** –कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन और अपडेशन। कंट्रोल टेबल में संशोधन होने पर संशोधन अनुसार मतदाताओं को सम्बंधित संशोधित क्षेत्रों में शिफ्ट करने की कार्यवाही।
   - **द्वितीय चरण** –विधानसभा की मतदाता सूची में बढ़े हुए मतदाताओं को सम्बंधित ग्राम पंचायत में जोड़ा जायेगा, विलोपित मतदाताओं को हटाया जायेगा और संशोधित मतदाताओं की जानकारी को संशोधित किया जाकर एकीकरण उपरांत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।
   - **तृतीय चरण** में दावे आपत्ति प्राप्त की जाकर उनका निराकरण किया जाकर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

प्रथम चरण
कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन और अपडेशन

7. वेण्डर द्वारा कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट प्रदाय की जायेगी। चैकलिस्ट में विकासखण्ड का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले वार्ड, ग्राम और मतदान केन्द्रों का विवरण अंकित होगा।

8. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन दर्ज करना होगा। यदि वेरिफिकेशन नहीं किया जायेगा तो ERMS में आगामी कार्यवाहियाँ नहीं हो सकेंगी।

9. विगत वर्षों में पुनरीक्षण की कार्यवाही के दौरान यह देखने में आया है कि कतिपय पंचायतें अथवा उनके कुछ भाग नगरपालिका में शामिल हो गये है, इसके बावजूद कंट्रोल टेबल से उनके नाम नहीं हटाये गये है और अभी भी उक्त क्षेत्र पंचायतों के रूप में प्रदर्शित हो रहे है।

10. इस सम्बंध में उपयुक्त कार्यवाही किये जाने के लिए वेण्डर से जनपद पंचायतवार ग्राम पंचायतों की सूची मतदाताओं की संख्या के घटते क्रम में प्राप्त की जाये। सूची में ग्राम पंचायत का नाम और उसके अंतर्गत मतदाताओं की संख्या दर्ज होगी। यह 0 या अन्य कुछ भी हो सकती है।

11. उक्त सूची का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाये। यदि कोई ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से नगरपालिका में शामिल हो गई है तो उसे कंट्रोल टेबल से मतदाताओं सहित हटाया जाये। मतदाताओं को डिलीट करते समय यह अनिवार्य तौर पर सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त ग्राम पंचायत के मतदाता पूर्व वर्ष में नगरपालिका क्षेत्र में शिफ्ट किये जा चुके है और उनके नाम डुप्लिकेट के तौर पर दर्ज है। यदि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका क्षेत्र में पूर्व में शिफ्ट नहीं किये गये है तो उन्हें डिलीट करने के स्थान पर शिफ्ट (Import) करने की कार्यवाही सम्बंधित नगरपालिका के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कराई जाये।

12. यदि किसी पंचायत का आंशिक भाग नगरपालिका में शामिल हुआ है तो वेण्डर से उक्त पंचायत की वार्डवार सूची प्राप्त की जाये। जो वार्ड नगरपालिका में शामिल हो गये है उन्हें कंट्रोल टेबल से मतदाताओं सहित हटाया जाये। मतदाताओं को डिलीट करते समय यह अनिवार्य तौर पर सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त ग्राम पंचायत वार्ड के मतदाता पूर्व वर्ष में नगरपालिका क्षेत्र में शिफ्ट किये जा चुके है और उनके नाम डुप्लिकेट के तौर पर दर्ज है। यदि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका क्षेत्र में पूर्व में शिफ्ट नहीं किये गये है तो उन्हें डिलीट करने के स्थान पर शिफ्ट (Import) करने की कार्यवाही सम्बंधित नगरपालिका के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कराई जाये।

13. यदि कंट्रोल टेबल में कोई संशोधन नहीं किया जाना है तो कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सत्यापन अनुसार वेण्डर द्वारा वेरिफिकेशन की कार्यवाही की जा सकेगी, लेकिन यदि कंट्रोल टेबल में कोई संशोधन किया जाना है तो आवश्यकतानुसार संशोधन ERMS में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से ही दर्ज किया जा सकेगा।

14. यदि वर्तमान वर्ष में पंचायतों और नगरपालिकाओं के सम्बंध में परिसीमन और वार्ड विभाजन के कारण कंट्रोल टेबल में संशोधन किया गया है तो संशोधन अनुसार आधार पत्रक तैयार कर मार्किंग को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा वेरिफाई किया जाये और तदानुसार मतदाताओं को सम्बंधित संशोधित क्षेत्रों में शिफ्ट (Import) करने की कार्यवाही की जाये।

15. कंट्रोल टेबल के सम्बंध में उपरोक्त कंडिकाओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के उपरांत ही विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची जनरेट की जाये। यदि कंट्रोल टेबल के अपडेशन के पूर्व उक्त सूचियाँ जनरेट की जायेंगी तो सूचियों में त्रुटियों की सम्भावना रह सकती है।

द्वितीय चरण
विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर ग्राम पंचायत की प्रारूप मतदाता सूची तैयार करना

16. इस चरण में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की जायेगी :–

    i. शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची जनरेट करना.

    ii. शिफ्टिंग सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2023) में बढ़े और नये जोड़े हुए मतदाताओं को पंचायत की अंतिम मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2022) में सम्बंधित ग्राम पंचायत एवं वार्ड में शिफ्ट करना.

    iii. विलोपन वेरिफिकेशन सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2023) में विलोपित मतदाताओं को पंचायत की अंतिम मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2022) के सम्बंधित ग्राम पंचायत एवं वार्ड से हटाना.

    iv. संशोधन वेरिफिकेशन सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2023) में मतदाताओं की संशोधित जानकारी को पंचायत की अंतिम मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2022) में यथासंशोधित करना.

    v. शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन की कार्यवाही उपरांत एकीकरण कर ERMS (Electoral Roll Management System) से फोटोयुक्त एवं फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करना।

    vi. फोटोरहित जनरेटेड प्रारूप मतदाता सूची को डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाईट पर अपलोड करना।

    vii. फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची को प्रिन्ट कर विहित स्थानों पर प्रकाशित करना।

    viii. प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की जानकारी और प्रचार प्रसार, जन जागरूकता हेतु जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन।

    ix. प्रारूप मतदाता सूची को प्रकाशित किये जाने का प्रमाणपत्र ERMS पर अपलोड करना।

17. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (भारत निर्वाचन) द्वारा स्थानीय निर्वाचन कार्यालय को, विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2023 की स्थिति) की प्रतियाँ/डी.व्ही.डी. निःशुल्क प्रदाय की जाती है। उक्त प्रतियाँ/डी.व्ही.डी. यथासमय निःशुल्क प्राप्त कर ली जाये।

नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करना

18. वेण्डर द्वारा शिफ्टिंग सूची (विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करने के लिए मार्किंग सूची) प्रदाय की जायेगी। इस सूची में विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं की जानकारी अनुभागवार होगी।

19. शिफ्टिंग सूची में मतदाता के नाम के आगे वार्ड नम्बर, पंचायत क्रमांक एवं पंचायत का नाम मार्किंग करने के लिए रिक्त ख़ाने बने हुए है।

20. विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और ग्राम पंचायत की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्यकतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को सम्बंधित ग्राम पंचायत एवं वार्ड में शिफ्ट करने के लिए, शिफ्टिंग सूची के ख़ाने में वार्ड नम्बर, पंचायत का क्रमांक व नाम दर्ज करेंगा।

21. शिफ्टिंग सूची में दर्ज शत्प्रतिशत समस्त मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।

22. शिफ्टिंग सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में शिफ्टिंग की प्रविष्टि की जायेगी।

23. शिफ्टिंग सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं को पंचायत अथवा नगरपालिका में शिफ्ट करने के लिए निर्धारित ख़ाने में मार्किंग होना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता शिफ्टिंग की मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को शिफ्टिंग सूची में मार्किंग की कार्यवाही सावधानी पूर्वक करवाना चाहिए।

विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन

24. वेण्डर द्वारा विलोपन वेरिफिकेशन सूची (विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची) प्रदाय की जायेगी। विलोपन वेरिफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को जानकारी होगी और यह भी जानकारी अंकित होगी कि उक्त मतदाताओं के नाम पंचायत की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज है।

25. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में मतदाता के नाम के आगे विलोपन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली ख़ाना बना हुआ है।

26. विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और ग्राम पंचायत की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्कतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी विलोपित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में विलोपित मतदाता की जानकारी का मिलान पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से **नहीं** होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा।

27. इसका आशय यह है कि विलोपन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन करते समय क्रॉस का निशान केवल उस स्थिति में लगाया जायेगा जबकि विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाता के सम्बंध में ग्राम पंचायत की मतदाता सूची की जानकारी का मिलान नहीं होता हो। अर्थात् विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाता कोई और हो और ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में विलोपन के सत्यापन के लिए दी गई जानकारी में कोई और मतदाता हो।

28. **यह स्पष्ट है कि विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित समस्त मतदाताओं को अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत की मतदाता सूची से हटाया जायेगा। विलोपन का वेरिफिकेशन करते समय प्राधिकृत कर्मचारी और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस आधार पर नाम बनाये रखने का निर्णय नहीं ले सकते कि विधानसभा की मतदाता सूची से नाम गलत तरीके से हटाया गया है। ऐसे सभी मामले दावे आपत्ति के समय विचारण में लिये जायेंगे।**

29. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापन की मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।

30. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में शत्प्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में उक्त मतदाताओं को हटाने की प्रविष्टि की जायेगी।

31. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के सम्बंध में मार्किंग किया जाना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता सत्यापन मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को विलोपन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन

32. वेण्डर द्वारा संशोधन वेरिफिकेशन सूची (विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची) प्रदाय की जायेगी। संशोधन वेरिफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाताओं की जानकारी होगी और यह भी जानकारी अंकित होगी कि उक्त मतदाताओं के नाम पंचायत की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज है।

33. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में मतदाता के नाम के आगे संशोधन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली ख़ाना बना हुआ है।

34. विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और ग्राम पंचायत की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्कतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी संशोधित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाता की जानकारी का मिलान पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से **नहीं** होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा।

35. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापन की मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।

36. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में शत्प्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में उक्त मतदाताओं की जानकारी को संशोधित करने की प्रविष्टि की जायेगी।

37. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के सम्बंध में मार्किंग किया जाना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता सत्यापन मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

शिफ्टिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण

38. शिफ्टिंग सूची विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर जनरेट की जायेगी। यह सम्भव है कि एक शिफ्टिंग सूची में दर्ज कुछ नाम पंचायत में और कुछ नाम नगरपालिका में शिफ्ट किये जाना हों। ऐसी कतिपय स्थितियों में विवाद की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है।

39. यदि सम्बंधित पंचायत और नगरपालिका, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित है, तो शिफ्टिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

40. यदि सम्बंधित पंचायत और नगरपालिका, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में नहीं आते है, तो शिफ्टिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

41. विवाद के निराकरण के लिए जिला कलेक्टर एवं सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सम्बंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी के साथ संयुक्त बैठक कर यह तय करेंगे कि किस मतदाता को ग्राम पंचायत में शिफ्ट करना है और किस मतदाता को नगरपालिका के वार्ड में शिफ्ट करना है। बैठक का कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध किया जायेगा और तदानुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिफ्टिंग सूची में मार्किंग कर वेरिफिकेशन करेंगे।

42. कुछ विधानसभा क्षेत्र दो–दो जिलों में भी स्थित है। उदाहरण के तौर पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक–78 और 82 सीधी–सिंगरौली जिलों में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक–167 आगरमालवा–शाजापुर जिलों में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक–193 झाबुआ–अलीराजपुर जिलों में और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक–23 शिवपुरी–दतिया जिलों में आता है। इन जिलों में यदि कोई शिफ्टिंग सम्बंधी विवाद होता है तो विवाद का निराकरण क्रमशः सीधी, आगरमालवा, झाबुआ और शिवपुरी के जिला कलेक्टर द्वारा सम्बंधित अन्य जिलों के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों से बैठक कर किया जायेगा। इसी प्रकार की परिस्थितियाँ अन्य जिलों में भी उत्पन्न होने पर संयुक्त बैठक कर निराकरण किया जाये। बैठक का कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध किया जायेगा और तदानुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिफ्टिंग सूची में मार्किंग कर वेरिफिकेशन करेंगे।

प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करना

43. शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की मार्किंग के लिए प्रति ग्राम पंचायत न्यूनतम एक प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। मतदाताओं की संख्या अधिक होने की स्थिति में एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक प्राधिकृत कर्मचारी भी नियुक्त किये जा सकते है।

44. शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की प्रविष्टि ERMS में की जाकर एकीकरण उपरांत फोटोयुक्त और फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची जनरेट की जायेगी। यदि शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की मार्किंग से एक भी मतदाता छूट जायेगा तो ERMS प्रारूप मतदाता सूची जनरेट नहीं करेगा।

45. शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की जानकारी ERMS में सही सही किये जाने की चैकिंग रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सावधानीपूर्वक चैकलिस्ट से कर लेना चाहिए। वेण्डर द्वारा प्रविष्टि में की गई त्रुटि को नज़र अंदाज़ करने से मतदाता सूची दूषित हो सकती है।

46. ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करने के बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से उसकी फोटोरहित प्रति को वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। डिजिटली साईन्ड प्रारूप मतदाता सूची वेबसाईट पर अपलोड होने की स्थिति में ही यह माना जायेगा कि प्रारूप मतदाता सूची जनरेट कर ली गई है। चूंकि यह कार्य निर्धारित समय पर होना है, अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करने और उसे वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही पूर्ण सचेत रहकर नियत समय पर करना होगी।

47. फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रिन्ट कर मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–10(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट स्थानों पर निरीक्षण के लिए प्रकाशित किया जायेगा। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के सम्बंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्धारित प्ररूप में प्रमाणपत्र तैयार कर ERMS में स्केन कर अपलोड करेंगे। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व अनिवार्य रूप से सभी प्राधिकृत कर्मचारियों से भी यह प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए।

48. प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के तत्काल उपरांत स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया जाये। जिला स्तर पर कलेक्टर और जनपद पंचायत स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाये। पंचायत की जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी में जिला पंचायत के सभी सदस्यों के साथ साथ जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शामिल किया जाये। जनपद पंचायत स्तरीय स्टेडिंग कमेटी में जनपद पंचायत के सभी सदस्यों के साथ साथ ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भी शामिल किया जाये। बैठक में प्रारूप मतदाता सूची, जाँच सूची, डुप्लिकेट सूची आदि सहित दावे आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया से सदस्यों को विस्तार से अवगत कराया जाये।

तृतीय चरण

प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करना, उनका निराकरण करना और अंतिम मतदाता सूची तैयार करना

49. दावा आपत्ति केन्द्रों पर, प्रारूप मतदाता सूची के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावे एवं आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे। आयोग द्वारा दावा आपत्ति सम्बंधी विहित आवेदन पत्रों के प्ररूप में परिवर्तन कर नये प्ररूप ER-1 (परिवर्धन), ER-2 (विलोपन), ER-3 (संशोधन) जारी किये है। उक्त सभी आवेदन पत्रों की एक समेकित बुकलेट मय मार्गदर्शिका तैयार की गई है, उक्त बुकलेट प्राधिकृत कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

50. प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करने के तत्काल उपरांत वेण्डर द्वारा **जाँच सूची** प्रदाय की जायेगी। **जाँच सूची** ऐसे मतदाताओं की सूची है जिनके नाम ग्राम पंचायतों की अद्यतन फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल है, लेकिन विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल नहीं है। जाँच सूची में शामिल इन मतदाताओं के सम्बंध में गहन स्थानीय जाँच की जायेगी, जाँच के आधार पर युक्तियुक्त कार्यवाही की जायेगी। दावे आपत्ति प्राप्त करते समय प्रारूप मतदाता सूची के साथ–साथ यह सूची भी प्रकाशित की जायेगी, ताकि इन नामों के सम्बंध में दावे आपत्ति प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर उपलब्ध हो सके।

51. **जाँच सूची** में शामिल मतदाताओं के सम्बंध में गहन स्थानीय जाँच प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के पूर्व ही करा ली जाये और जाँच के आधार पर यदि मतदाताओं के नाम विलोपित करना आवश्यक हो तो सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार नाम विलोपित किये जायें। मृत मतदाता और शिफ्टेड मतदाताओं के सम्बंध में जाँच के आधार पर कार्यवाही की जाये।

52. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को वेण्डर से **डुप्लिकेट सूची** पर्याप्त समय रहते प्राप्त कर लेना चाहिए। **डुप्लिकेट सूची** में ऐसे मतदाताओं की जानकारी होगी जिनके नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक स्थानों पर दर्ज है। यह सूची 3 भागों में होगी :–

    i. डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम एक ही विकासखण्ड में 2 या 2 से अधिक स्थानों पर दर्ज है।

    ii. डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले के 2 या 2 से अधिक विकासखण्डों में दर्ज है।

    iii. डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले की ही नगरीय निकाय एवं पंचायत दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है।

53. मतदाता सूची में दो स्थानों पर मतदाताओं के नाम दर्ज होने के संबंध में आयोग के पत्र क्रमांक एफ–52–4/2015/तीन/नपा/745, दिनांक 19.10.2015 द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में जिले के लिए चयनित वेण्डर से प्राप्त दोहरे नामों वाली सूची **(डुप्लिकेट सूची)** के सम्बंध में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दोहरे नामों के विलोपन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। डुप्लिकेट सूची में दर्ज मतदाताओं के सम्बंध में निम्नानुसार अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जायेगी :–

क्रमांक	विवरण	कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारी
1.	डुप्लिकेट मतदाता, जिनके नाम एक ही विकासखण्ड में 2 या 2 से अधिक स्थानों पर दर्ज है।	सम्बंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
2.	डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले के 2 या 2 से अधिक विकासखण्डों में दर्ज है।	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।

क्रमांक	विवरण	कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारी
3.	डुप्लिकेट मतदाता, जिनके नाम जिले के ही नगरीय निकाय एवं पंचायत दोनों की मतदाता सूची में दर्ज हैं।	1. सम्बंधित विकासखण्ड के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई की जायेगी। 2. यदि मतदाता का नाम पंचायत की मतदाता सूची में रखे जाने का निर्णय लिया जाता है तो इसकी सूचना नगरीय निकाय के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जायेगी।

54. मतदाता सूची का पुनरीक्षण अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अतः डुप्लिकेट मतदाताओं के सम्बंध में कार्यवाही करने के लिए रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विविध मद बी–121 में प्रकरण दर्ज किये जाये। प्रकरण की एन्ट्री RCMS (Revenu Case Management System) में भी की जाये। प्रकरण का निराकरण नियत समयसीमा के पूर्व सुनिश्चित किया जाये।

55. **विगत विधानसभा और लोकसभा चुनाव में विधानसभा की मतदाता सूचियों में गम्भीर त्रुटियाँ होने के मामले समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए है। भारत निर्वाचन आयोग ने उक्त क्षेत्रों में विशेष जाँच कर मतदाता सूचियों को शुद्ध करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीन यदि किसी क्षेत्र में मतदाता सूची की जाँच उपरांत कतिपय मतदाताओं के नाम विलोपित करने का निर्णय (राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार दावे आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक) लिया जाता है तो उस निर्णय के अनुसार सम्बंधित पंचायत की मतदाता सूची से भी उक्त मतदाताओं के नाम सीधे सीधे विलोपित कर दिये जाये।**

56. मतदाता सूची के सम्बंध में प्राप्त दावे आपत्ति के आवेदन पत्रों पर राज्य स्तरीय एजेन्सी द्वारा प्रदाय बारकोड स्टीकर चस्पा किया जाये। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे आपत्ति का निराकरण डिजीटल हस्ताक्षर कर किया जायेगा।

57. दावे आपत्तियों और डुप्लिकेट नाम वाले मतदाताओं के प्रकरणों के निराकरण के पश्चात् ग्राम पंचायतों की अनुपूरक सूची तैयार कर दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में अंतिम मतदाता सूची तैयार की जायेगी।

58. प्रारूप मतदाता सूची की भांति अंतिम मतदाता सूची भी ERMS से जनरेट की जायेगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाईट पर उसकी फोटोरहित प्रति अपलोड की जायेगी और फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रिन्ट निकालकर नियत स्थानों पर प्रकाशित किया जायेगा। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में मय प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्केन कर वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को यह प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व सभी प्राधिकृत कर्मचारियों से उक्त प्रमाणपत्र अनिवार्य तौर से प्राप्त कर लेना चाहिए।

प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की प्रिन्टिंग

59. आम अथवा उप चुनाव नहीं होने की स्थिति में प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की निम्नानुसार संख्या में प्रतियाँ प्रिन्ट की जायेगी :–

मतदाता सूची	प्रिन्ट की संख्या	उपयोग
फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची	04 (डबल साईड)	1. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय. 2. सम्बंधित ग्राम पंचायत कार्यालय. 3. सम्बंधित जनपद पंचायत कार्यालय पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराने के लिए एवं एक अतिरिक्त कार्यालय प्रति
फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची	04 (डबल साईड)	1. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय. 2. सम्बंधित ग्राम पंचायत कार्यालय. 3. सम्बंधित जनपद पंचायत कार्यालय. 4. सम्बंधित जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के लिए.

60. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिन क्षेत्रों में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जायेगा, वहाँ पर फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची की निम्नानुसार संख्या में प्रतियाँ प्रिन्ट की जायेंगी :–

मतदाता सूची	प्रिन्ट की संख्या	उपयोग
फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची	1. जहाँ चुनाव होना है, उस क्षेत्र के लिए प्रति मतदान केन्द्र 02 अतिरिक्त प्रतियाँ (डबल साईड). 2. जहाँ चुनाव होना है, उस क्षेत्र के लिए प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी के लिए 02 (डबल साईड) प्रतियाँ।	1. हर मतदान केन्द्र पर मतदान दल को उपलब्ध कराने के लिए 02 प्रतियाँ (डबल साईड). 2. रिटर्निंग ऑफिसर एक प्रति अपने लिये रखेंगे और एक प्रति को विभाजित कर सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार उपलब्ध करायेंगे।

61. **प्रारूप मतदाता एवं अंतिम मतदाता सूची की निर्धारित संख्या से अधिक प्रतियाँ किसी भी स्थिति में मुद्रित न की जाये। उक्त प्रतियाँ डबल साईड प्रिन्ट की जायें। आयोग की लिखित अनुमति के बगैर निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में मतदाता सूची की प्रतियाँ मुद्रित करने पर होने वाले व्यय के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।**

62. मतदाता सूची की सॉफ्ट कापी सी.डी. में तैयार की जायेगी। जिले के सभी विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों की एक सी.डी. रहेगी। सी.डी.में मतदाता सूची डिजिटल हस्ताक्षर कर अभिप्रमाणित की जायेगी। ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों उनसे सम्बंधित क्षेत्रों की मतदाता सूची की एक सी.डी. निःशुल्क प्रदाय की जाये।

63. अन्य रूपये 100/– प्रति सी.डी. का भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे। रूपये 2/– प्रति पृष्ठ के हिसाब से अंतिम मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय की जायेगी।

64. मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के सुचारू संचालन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ समयसीमा में सुनिश्चित करवाना होंगी :–

- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारी आदि की नियुक्ति और समयसीमा में प्रशिक्षण।
- सभी सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा जारी निर्देश, परिपत्र एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।
- मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की डेशबोर्ड से ऑनलाईन नियमित मॉनिटरिंग करना और समयसीमा में सभी कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करवाना।
- कंट्रोल टेबल के संशोधन और अपडेशन के सम्बंध में समन्वय करना।
- शिफ्टिंग सम्बंधी विवादों के निराकरण के लिए यथासमय बैठक आयोजित कराना।
- प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची को नियत समय पर जिले की वेबसाईट पर अपलोड कराना।
- स्टेंडिग कमेटी की बैठक का आयोजन कराना।
- वेण्डर से समन्वय कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की कठिनाईयों को समय सीमा में निराकरण कराना।
- प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की निर्धारित संख्या में समयसीमा में प्रिन्टिग सुनिश्चित करना।

65. मतदाता सूची तैयार किये जाने की प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के सम्बंध में आयोग के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक एफ–52–NN–01/2018/पाँच/234, दिनांक 07.03.2018 में उल्लेखित निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये और निर्देशानुसार की गई कार्यवाही से आयोग को अवगत करायें।

66. गणमान्य नागरिक, वरिष्ठजन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से छूट न जाये, इसका विशेष ध्यान रखा जाये।

67. आयोग द्वारा जारी पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने हेतु कार्यक्रम (संलग्न **परिशिष्ट–एक**) अनुसार पंचायतों की मतदाता सूची का दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में वार्षिक पुनरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें।

68. पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति तत्काल ई–मेल द्वारा भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

24/1/2023

(राकेश सिंह)
सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
भोपाल, दिनांक 24/01/2023

पृष्ठा. क्रमांक–एफ–35/PN–01/2023/तीन/20
प्रतिलिपि –

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव (कार्मिक) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल।
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. पुलिस महानिदेशक,मध्यप्रदेश पुलिस भोपाल।
8. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
9. संभागीय आयुक्त, समस्त, मध्यप्रदेश।
10. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम एवं राज्य स्तरीय एजेन्सी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु अग्रेषित।
12. आयुक्त–सह–नियंत्रक/उप नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, म.प्र. भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा की ओर अग्रेषित।
13. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल की ओर बजट आवंटन की कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
14. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के समस्त अधिकारियों की ओर सूचनार्थ/योग्य कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. स्टोर (स्थापना/निर्वाचन) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
16. आई.टी. (नोडल अधिकारी/शाखा प्रभारी), मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
17. गार्ड फाईल।

(राजकुमार खत्री)
उप सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
24/1/23

परिशिष्ट–एक

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल–462011

–0–

भोपाल, दिनांक 24/01/2023

क्रमांक–एफ–35/PN–01/2023/तीन/18 :: मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नियम 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा पंचायतों के निर्वाचन हेतु 01 जनवरी 2023 की संदर्भ तारीख के आधार पर पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु निम्नांकित कार्यक्रम निर्धारित करता है :–

क्रमांक	कार्यवाही	उत्तरदायित्व	समयसीमा (अंतिम तारीख)
	प्रशिक्षण एवं प्रारम्भिक कार्यवाहियाँ		
1.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी और मास्टर ट्रेनर्स का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण (वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग द्वारा)।	राज्य निर्वाचन आयोग	27 जनवरी 2023
2	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति और जिला स्तरीय प्रशिक्षण।	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी	02 फरवरी 2023 तक
3.	भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में तैयार अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची की डी.व्ही.डी. (अनुपूरक सूचियों सहित) जिला निर्वाचन कार्यालय (भारत निर्वाचन) से निःशुल्क प्राप्त कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करना।	उप जिला निर्वाचन अधिकारी	02 फरवरी 2023
4.	प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति, दावे आपत्ति केन्द्रों का निर्धारण, प्राधिकृत कर्मचारी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं अन्य समस्त संबंधितों का विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	07 फरवरी 2023 तक
	प्रथम चरण (कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन, अपडेशन और मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण)		
5.	**कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट की प्रति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करना।**	**वेण्डर**	02 फरवरी 2023
6.	कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट की प्रति मतदान केन्द्रों के परीक्षण और युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सौंपना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	03 फरवरी 2023
7.	मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंपना।	**मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत**	06 फरवरी 2023
8.	मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर उन्हें अंतिम करना और कंट्रोल टेबल में यथासंशोधित करना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	09 फरवरी 2023
9.	कंट्रोल टेबल का परीक्षण करना और संशोधन होने पर निर्देशानुसार यथोचित हस्ताक्षर करना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	10 फरवरी 2023
10.	कंट्रोल टेबल का डिजिटल हस्ताक्षर से वेरिफिकेशन।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	13 फरवरी 2023

क्रमांक	कार्यवाही	उत्तरदायित्व	समयसीमा (अंतिम तारीख)
	द्वितीय चरण (प्रारूप मतदाता सूची तैयार करना)		
11.	**शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची ERMS से जेनरेट कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना।**	**वेण्डर**	20 फरवरी 2023
12.	शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची मार्किंग हेतु प्राधिकृत कर्मचारी को उपलब्ध कराना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	21 फरवरी 2023
13.	शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची में मार्किंग कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को वापस प्रदान करना।	प्राधिकृत कर्मचारी	27 फरवरी 2023
14.	**शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा की गई मार्किंग की रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जाँच एवं वेरिफिकेशन ।**	**रजिस्ट्रीकरण अधिकारी**	01 मार्च 2023
15.	**शिफ्टिंग संबंधी विवादों के निराकरण के लिए बैठक का आयोजन करना और बैठक का कार्यवाही विवरण रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना।**	**कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)**	01 मार्च 2023 से 04 मार्च 2023 के मध्य
16.	शिफ्टिंग संबंधी विवादों के निराकरण के लिए आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण अनुसार यथोचित कार्यवाही करना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	06 मार्च 2023
17.	मार्कड शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची ERMS में प्रविष्टि हेतु वेण्डर को सौंपना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	10 मार्च 2023
18.	शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन की कार्यवाही ERMS के माध्यम से पूर्ण कर चैकलिस्ट रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करना।	वेण्डर	15 मार्च 2023
19.	चैकलिस्ट की जाँच करना और जाँच उपरांत परिलक्षित त्रुटियों को सुधारने के लिए चैकलिस्ट वेण्डर को वापस करना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	20 मार्च 2023
20.	**त्रुटियों को सुधार कर एकीकरण कर फोटोरहित और फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करना।**	**रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं वेण्डर**	27 मार्च 2023
21.	**फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची वेबसाईट पर अपलोड करना।**	**रजिस्ट्रीकरण अधिकारी**	28 मार्च 2023
22.	फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का मुद्रण कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदाय करने के साथ जाँच सूची और डुप्लिकेट सूची प्रदान करना।	वेण्डर	03 अप्रैल 2023
23.	**फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन।**	**रजिस्ट्रीकरण अधिकारी**	06 अप्रैल 2023
24.	प्रारूप मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन किए जाने संबंधी प्रमाणपत्र स्केन कर अपलोड करना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	08 अप्रैल 2023
25.	स्टेण्डिंग कमेटी की बैठकों का आयोजन।	कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	06 एवं 08 अप्रैल 2023

क्रमांक	कार्यवाही	उत्तरदायित्व	समयसीमा (अंतिम तारीख)
तृतीय चरण (दावा आपत्ति प्राप्त करना एवं अंतिम मतदाता सूची तैयार करना)			
26.	1. दावे आपत्ति प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कर्मचारियों का द्वितीय प्रशिक्षण एवं उन्हे आवश्यक सामग्री प्रदाय करना। 2. दावा आपत्ति केंद्रों के पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	03 अप्रैल 2023 से 05 अप्रैल 2023
27.	**दावा आपत्ति केन्द्र पर दावे आपत्ति प्राप्त करने की अवधि।**	**प्राधिकृत कर्मचारी**	06 अप्रैल 2023 से 18 अप्रैल 2023 के अपराह्न 03:00 बजे तक
28.	**दावा आपत्ति आवेदन पत्रों के निराकरण की अंतिम तिथि।**	**रजिस्ट्रीकरण अधिकारी**	25 अप्रैल 2023
29.	**निराकृत दावा आपत्ति आवेदन पत्रों की ERMS में प्रविष्टि की अंतिम तिथि।**	**रजिस्ट्रीकरण अधिकारी**	27 अप्रैल 2023
30.	**दावे आपत्ति की चैकलिस्ट तैयार करना।**	**रजिस्ट्रीकरण अधिकारी**	01 मई 2023
31.	**चैकलिस्ट की जाँच कर त्रुटि सुधार उपरांत वेण्डर को वापस करना।**	**रजिस्ट्रीकरण अधिकारी**	03 मई 2023
32.	**फोटोयुक्त और फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची जेनरेट करना।**	**रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं वेण्डर**	04 मई 2023
33.	**फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची को वेबसाईट पर अपलोड करना।**	**रजिस्ट्रीकरण अधिकारी**	06 मई 2023
34.	फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची को मुद्रित कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना।	वेण्डर	10 मई 2023
35.	**फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का ग्राम पंचायत तथा अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन।**	**रजिस्ट्रीकरण अधिकारी**	12 मई 2023
36.	अंतिम मतदाता सूची की फोटोरहित सी.डी. विक्रय के लिए उपलब्ध कराना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	12 मई 2023
37.	फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाणपत्र स्केन कर अपलोड करना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	15 मई 2023

24/11/23

(राकेश सिंह)
सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग